International Journal of Applied Research 2016; 2(10): 757-761

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(10): 757-761
www.allresearchjournal.com
Received: 15-08-2016
Accepted: 18-09-2016

ज्योति कुमारी
गवेषिका, समाजशास्त्र विभाग, ल०ना०मि०विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
ज्योति कुमारी
गवेषिका, समाजशास्त्र विभाग, ल०ना०मि०विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

साम्प्रदायिकता का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव

ज्योति कुमारी

सारांश
देश में बार–बार होने वाली सांप्रदायिक हिंसा धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक मूल्यों पर प्रश्नचिह्न लगता है।सांप्रदायिक हिंसा में पीड़ित परिवारों को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है, उन्हें अपना घर, प्रियजनों यहाँ तक कि जीविका के साधनों से भी हाथ धोना पड़ता है। सांप्रदायिकता समाज को विभाजित करती है।सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग को समाज में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और इससे देश की एकता एवं अखंडता के लिये खतरा उत्पन्न होता है। सांप्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये भी चुनौती प्रस्तुत करती है क्योकि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्षों में देश के ही नागरिक शामिल होते हैं।भारत की जनता अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वह शराफत का मुखौटा लगाए इन स्वार्थी, कपटी एवं धूर्त लोगों की आसानी से पहचान कर उनका मुँहतोड़ जवाब दे सके। हमें स्वयं को इतना सुदृढ़ एवं विवेकशील बनाना होगा कि उक्ति–अनुचित, नैतिक–अनैतिक, तार्किक–अतार्किक आदि के बीच अन्तर की स्पष्ट पहचान की जा सके, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं मानवीयता की गरिमा बरकरार रहे। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये मजबूत कानून की आवश्यकता होती है।अतः सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 को मजबूती के साथ लागू करने की आवश्यकता है।

कूटशब्दः सांप्रदायिक, हिंसा, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक, सहिष्णुता

प्रस्तावनाः
सांप्रदायिक से अभिप्राय अपने धार्मिक संप्रदाय से भिन्न अन्य संप्रदाय अथवा संप्रदायों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, दयादृष्टि, घृणा विरोधी व आक्रमण की भावना है, जिसका आधार वह वास्तविक या काल्पनिक भय है कि उत्त संप्रदाय हमारे संप्रदाय को नष्ट कर देने या हमे जान–माल की हानि पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। व्यापक अर्थ मे सांप्रदायिकता एक संकीर्ण मानसिक सोच है जो अपने समूह को श्रेष्ठ मानती है और उसके हितो के संवर्धन के लिये कोशिश करती है। यह धर्म, जाति, भाषा, स्वजातीय या क्षेत्रीय मे से किसी भी आधार पर हो सकती है किन्तु एक निश्चित अर्थ मे सांप्रदायिकता का आधार धर्म है। सांप्रदायिकता वस्तुतः विभिन्न धर्मावलम्बियों मे विद्वेष की भावना है। आधुनिक भारतीय समाज सांप्रदायिकता व जातिवाद के जहर से सर्वाधिक व्याधिग्रस्त है जो वस्तुतः धर्म व जाति के व्युत्पन्न है। प्रो. बलराज मधोक के शब्दों मे,'' संप्रदाय कुछ धार्मिक वर्गो का राष्ट्रीय वर्ग अथवा अन्य धार्मिक वर्गो की कीमत पर अपने विशेष राजनीति अधिकार एवं अन्य अधिकारों की मांग करता है।''
साम्प्रदायिकता एक आधुनिक विचारधारा और राजनीतिक प्रवृत्ति है, जिसकी सामाजिक जड़ो तथा इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक लक्ष्यों को भारतीय इतिहास के आधुनिक काल में खोजा जा सकता है। यह आधुनिक सामाजिक समूहों, वर्गों और ताकतों की सामाजिक आकांक्षाओं को व्यक्त करती थी और उनकी राजनीतिक जरूरतों की पूर्ति करती थी। समकालीन आर्थिक ढांचे ने न केवल इसे उत्पन्न किया अपितु उसके कारण ही यह फली–फूली भी।साम्प्रदायिकता का सामाजिक आधार उस उभरते हुये मध्य वर्ग पर अवलंबित था, जो तत्कालीन परिस्थतियों के वातावरण में अपने धार्मिक हितों के साथ अपने आर्थिक हितों को भी ढूंढ़ रहा था। यह उस काल में बुर्जुआ वर्ग का प्रश्न था। भारत में साम्प्रदायिक चेतना का जन्म उपनिवेशवादी नीतियों तथा उसके विरुद्ध संघर्ष करने की आवश्यकता से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण हुआ। देश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण, भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया, आधुनिक सामाजिक वर्गों एवं उपवर्गों का निर्माण तथा भारतीयों के बढ़ते हुये अंतर्विरोध जैसे कारणों से लोगों में अपने साझा हितों आयामों का विकास तथा नयी पहचानों का निर्माण आवश्यक हो गया।`

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध मराजनीति की जिस नयी अवधारणा का जन्म हुआ उससे भी साम्प्रदायिकता की विचारधारा को बल मिला।

नए विचारों को ग्रहण करने, नई पहचानों तथा विचारधाराओं का विकास करने तथा संघर्ष के दायरे को व्यापक बनाने के लिए लोगों ने पुरातन तथा पूर्व–आधुनिक तरीकों के प्रति आसक्ति प्रकट की उसने भी साम्प्रदायिकता की विचारधारा को सशक्त बनाने में मदद की। संकीर्ण सामाजिक प्रतिक्रियावादी तत्वों ने साम्प्रदायिकता को पूर्ण समर्थन दिया।यद्यपि धार्मिकता, साम्प्रदायिकता को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने का मूल कारण नहीं था किंतु भारत जैसे देश में जहां शिक्षा का अभाव था तथा लोगों में बाह्य जगत संबंधी चेतना ना के बराबर थी, धार्मिकता ने साम्प्रदायिकता के लिये उत्प्रेरक की भूमिका निभायी तथा तथाकथित तत्वों में इसे साम्प्रदायिकता के वाहन के रूप में प्रयुक्त किया।

प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो. विपिन चन्द्र ने साम्प्रदायिकता को स्पष्ट करते हुए इसके तीन चरणों की व्याख्या प्रस्तुत की है– उनका मानना है कि प्रथम चरण के अन्तर्गत किसी समुदाय या समूह विशेष के सदस्य अपने समूह से सम्बन्धित हितों की पहचान करते हैं। वास्तव में, इसे साम्प्रदायिकता नहीं कहा जा सकता, लेकिन साम्प्रदायिकता के उदभव का आधार यही छिपा होता है। इसके अगले अर्थात् द्वितीय चरण में वे न केवल अपने समूह के सदस्यों के हितों की पहचान करते हैं, बल्कि उनके हितों को अन्य समूहों के सदस्यों के हितों से भिन्न मानते हैं। प्रो. विपिन चन्द्र का मानना है कि वास्तव में यह साम्प्रदायिकता है, जहाँ समूह विशेष के सदस्यों के हित समाज के अन्य समूहों के सदस्यों के हितों से भिन्न लगते हैं, लेकिन यह भिन्नता उग्र रूप तब धारण कर लेती है, जब किसी समूह या समुदाय विशेष के सदस्यों को अपने हित अन्य समूहों या समुदायों के सदस्यों की तुलना में न केवल भिन्न लगते है बल्कि विपरीत भी लगने लगते हैं। इस तीसरे चरण में साम्प्रदायिकता अपने उग्र स्वरूप में आ जाती है। समूह या समुदाय विशेष के सदस्यों को समाज के अन्य सदस्यों के हित विरोधी लगते हैं यही हितों का संघर्ष प्रारम्भ होता है, जो समूहों या समुदायों के आपसी संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है।

वास्तव में, साम्प्रदायिकता एक विचारधारा है, जो बताती है कि समाज धार्मिक समुदायों में विभाजित है, जिनके हित एक–दूसरे से भिन्न है और कभी–कभी उनमें पारस्परिक उग्र विरोध भी होता है। इतिहास की कुछ उन विशिष्ट अवधारणाओं में साम्प्रदायिकता भी शामिल है, जो अपना वास्तविक अर्थ अपने मूल अर्थ से भिन्न रखती है। साम्प्रदायिकता की विचारधारा मूलतः धार्मिकता से जुड़ी होती है। धर्म के साथ मेल करके ही साम्प्रदायिकता की विचारधारा पल्लवित होती है। साम्प्रदायिक व्यक्ति वे होते हैं, जो राजनीति को धर्म के माध्यम से चलाते हैं। साम्प्रदायिक व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, बल्कि बह एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो राजनीति को धर्म से जोड़कर राजनीति रूपी शतरज की चाल खेलता है। उसके लिए धर्म एवं ईश्वर केबल उपकरण मात्र है, जिनका उपयोग बह समाज में विलासितापूर्ण जीवन जीने एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करता है। धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता की आग फैलाने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए हरिवंश राय 'बच्चन' ने मधुशाला में लिखा है–

"वैर बढ़ाते मन्दिर मस्जिद
मेल कराती मधुशाला।"

भारत पर विदेशी मुसलमानों के आक्रमण लगभग दसवीं शताब्दी में प्रारम्भ हो गए थे, परन्तु महमूद गजनवी और मुहम्मद गोरी जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी धार्मिक आधिपत्य स्थापित करने की अपेक्षा आर्थिक संसाधनों को लूटने में अधिक रुचि रखते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के आगमन एवं इसके दिल्ली का पहला शासक बनने के बाद 'इस्लाम धर्म' ने भारत में अपने पैर जमाए। इसके पश्चात् मुगलों ने अपने साम्राज्य को संगठित करने की प्रक्रिया में इस्लाम को मुख्य हथियार बनाते हुए धर्म परिवर्तन के प्रयत्न किए तथा हिन्दू और मुस्लिम समुदायों के बीच साम्प्रदायिक झगड़ों को भड़काने का प्रयास किया।

जब अंग्रेजों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के माध्यम से भारत पर अपना आधिपत्य जमाया, तो प्रारम्भ में उन्होंने हिन्दुओं को संरक्षण देने की नीति अपनाई, परन्तु 1857 में प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय जन–एकता को खण्डित करने के लिए खुलकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, फलस्वरूप झगड़ों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। यह कहा जा सकता है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच पारस्परिक विरोध बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रदायिकता स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन की विरासत है। अंग्रेजों ने भारत को स्वतन्त्र तो किया, मगर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में बाँटकर दोनों देशों को साम्प्रदायिकता की आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया, जिसका लेखिका 'अमृता प्रीतम' ने अपने उपन्यास 'पिंजह' में बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। दोनों देशों के साम्प्रदायिक हिन्दुओं और मुसलमानों की व्यंग्यात्मक शैली में निन्दा करते हुए भारत के वर्तमान शायर 'निदा फाजली' ने लिखा है–

"हिनूभी मजे में हैं, मुसलमां भी मजे में,
इंसान परेशान यहाँ भी है, वहाँ भी।"

इतिहासकार प्रो. विपिन चन्द्र का मानना है कि कांग्रेसी ने प्रारम्भ से ही 'चोटी से एकता' की नीति अपनाई, जिसके अन्तर्गत मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के मुसलमानों (जिन्हें मुसलमान समुदाय का नेता माना जाता था) को अपनी ओर करने का प्रयत्न किया गया। हिन्दू और मुसलमान दोनों के द्वारा जनता की साम्राज्य विरोधी भावनाओं की सीधी अपील करने के स्थान पर यह मध्यम एवं उच्च वर्ग के मुसलमानों पर छोड़ दिया गया कि वे मुसलमान जनता को आन्दोलन में सम्मिलित करे। इस प्रकार, 'चोटी से एकता' उपागम साम्राज्यवाद से लडने के लिए हिन्दू–मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित नहीं कर पाया।

सम्भवतः प्रारम्भ में राष्ट्रीय नेतृत्व में यह अप्रत्यक्ष सहमति थी कि हिन्दू मुसलमान और सिख पृथक समुदाय हैं, जिनमें केवल राजनीतिक एवं आर्थिक मामलों में एकता है, परन्तु धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में नहीं। इस प्रकार साम्प्रदायिकता के बीज कसबी शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में बोये गए। पाकिस्तान का नारा मुस्लिम लीग ने लाहौर में सर्वप्रथम वर्ष 1940 में दिया। मुस्लिम जनता के विभिन्न समूहों में पाकिस्तान के बारे में विभिन्न मत थे– मुसलमान कृषकों के लिए पाकिस्तान का अर्थ था– 'हिन्दू जमींदार के शोषण से मुक्ति', मुसलमान व्यापारी वर्ग के लिए इसका अर्थ था– 'सुव्यवस्थित हिन्दू व्यापारिक तन्त्र से छुटकारा' जबकि मुसलमान बुद्धि जीवी वर्ग के लिए इसका अर्थ था– 'बेहतर रोजगार के अवसर।'

भारत के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रदायिकता के राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्रोत थे और उनमें संघर्ष का उत्तरदायी केवल धर्म ही नहीं था। आर्थिक स्वार्थ और सांस्कृतिक एवं सामाजिक रीति–रिवाज भी प्रमुख कारक थे, जिन्होंने दोनों समुदायों के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया और यही दूरी धीरे–धीरे उग्र होकर घृणा, द्वेष एवं प्रतिशोध पर आधारित साम्प्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गई।

साम्प्रदायिकता धर्म की अपेक्षा राजनीति से अधिक प्रेरित होती है। साम्प्रदायिक तनाव का कर्ताधर्ता राजनीतिज्ञों का एक वर्ग होता है, जो पाखण्डी धार्मिक व्यक्तियों के वर्ग को साथ लेकर अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने एवं स्वयं को समृद्ध बनाने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना चाहता है और जनसामान्य के

आगे वह स्वयं को अपने समुदाय के सबसे बड़े हिमायती के रूप में प्रस्तुत करता है। वास्तव में, साम्प्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरवादियों द्वारा भड़काई जाती है, इसकी पहल असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती है। राजनीति में सक्रिय व्यक्ति इसे समर्थन देते हैं, निहित स्वार्थी तत्व इसे वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और पुलिस एवं प्रशासकों की निर्दयता के कारण यह तेजी से फैलती है।

भारत में साम्प्रदायिकता का एक महत्वपूर्ण कारक पड़ोसी देश पाकिस्तान के शासकों की भारत के प्रति द्वेष की भावना भी है। अस्थिरता उत्पन्न करने वाले पाकिस्तान के कई प्रयत्नों ने हिन्दुओं और मुसलमानों में एक–दूसरे के प्रति दुर्भावना और सन्देह पैदा किया है। पाकिस्तान द्वारा जब–जब भारतीय सीमा पर की जाने बाली गोलाबारी और वहाँ के आतंकवादियों द्वारा ताज आदि पा किए गए हमलों से यह बात प्रमाणित भी हो चुकी है। यही बात भारत के कुछ हिन्दू और मुस्लिम कट्टरपंथियों एवं संगठनों के लिए भी कही जा सकती हे, जो धर्म के नाम पर अपने ही देश में द्वेषपूर्ण भावनाएं भड़का रहे हैं। साम्प्रदायिक हिंसा की यदि सामाजिक व्याख्या की जाए, तो कहा जा सकता है कि लोग हिंसा का उपयोग इसलिए करते हैं, क्योंकि बे असुरक्षा एक चिन्ता से ग्रसित होते है। इन भावनाओं एवं चिन्ताओं की उत्पत्ति उन सामाजिक अवरोधों से होती है, जो दमनात्मक सामाजिक व्यवस्थाओं और सत्ताधारी अभिजनों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। व्यक्ति की पृष्ठभूमि एवं पालन–पोषण के कारण से उसमें ऐसी भावनाओं का जन्म होता है।

साम्प्रदायिक वर्गों से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे–साम्प्रदायिक मानसिकता रखने वाले राजनीतिज्ञों को चुनाव लडने से वंचित करना, धर्मान्ध लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करना, पुलिस विभाग को राजनीतिज्ञों के नियन्त्रण से मुक्त करना, पुलिस के खुफिया विभाग को और शक्तिशाली बनाना, पुलिस बल की पुनसंरचना करना, पुलिस प्रशासन को अधिक संवेदनशील बनाना, पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के अन्तर्गत उन्हें धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने के योग्य बनाना आदि। सरकार को ऐसे निवारक उपाय भी करने होंगे, जिनके द्वारा भेदमाव एवं सापेक्षिक वचन की भावना को कम किया जा सके आज समान नागरिक संहिता की अत्यधिक आवश्यकता है। भारत एक ऐसा देश रहा है, जहाँ मुसलमान बाहरी आक्रमणकारी के रूप में तो अवश्य आए, लेकिन एक बार आने के बाद वे बाहरी नहीं रह गए उन्होंने इस देश को ही अपना देश माना और यहाँ की संस्कृति को बहुत गहराई तक आत्मसात किया।

भारत की गंगा–जमुनी संस्कृति के अन्तर्गत ही अकबर ने 'दीन–ए–इलाही' धर्म चलाया और अवध के नबाव वाजिंदअली शाह तो एक ही दिन गम का त्योहार मुहर्रम और खुशी का त्योहार होली पढ़ने पर, दोनों ही मनाते थे कारण स्पष्ट था, क्योंकि मजहब अपनी जगह है और इंसानियत या आत्मीयता अपनी जगह। कोई भी मजहब किसी को वैमनस्य नहीं सिखाता। 'अमीर खुसरो' ने अपनी मसनवी 'नूर सिपह' में लिखा है– "लोग पूछते हैं कि भारत के प्रति मेरे मन में श्रद्धा क्यों है? भारत मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है। पैगम्बर ने कहा है कि अपने देश से प्रेम करना मजहब का एक हिस्सा है।" धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने का कार्य सिर्फ निजी स्वार्थों की पूर्ति करने बाले असामाजिक एवं निकृष्ट कोटि के लोग ही करते हैं।

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा के क्रम में विभिन्न आचार्यों द्वारा लिखित पुस्तकों का अवलोकन किया गया है जिसमें:

प्रशान्त अमृतकर (2010) "*Indian Secularism: Is it a way out to Communalism*" में उनका कहना है कि भारत में जबतक मुस्लिम अपना पर्सनल लॉ को संसोधित नहीं करेंगे और धार्मिक अधिकार में बदलाव नहीं करेंगे तब तक साम्प्रदायिकता की भावना भारतीय समाज में विद्यमान रहेगी और अवसर आने पर उस भावना को राजनीतिज्ञों द्वारा भुनाया जाता रहेगा।

एस0 सुभाष चन्द्रा बोस (2011) "***Secularism, Communalism and Human Rights***" में कहा गया है कि समाजवाद, क्षेत्रीयता एवं साम्प्रदायिकता पर अपनी अभिव्यक्ति करते हुए कहा है कि मूल्यपरक शिक्षा की कमी, आर्थिक विकास की कमी एवं राजनीतिक पिछड़ापन समाज में वैवनश्यता की भावना उत्पन्न करता है और कई धर्मावलम्बियों एवं वर्ग विभेदों के बीच साम्प्रदायिक भावना को उभाड़ देता है।

पी0 आई0 जोश एवं अन्य (2011) "***The Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Preparation) Bill, 2011: A Note on Clarification***" में साम्प्रदायिक हिंसा नियंत्राण बिल 2011 में जो प्रावधान किए गए है उससे बहुत हद तक साम्प्रदायिक दंगों पर नियंत्राण किया जा सकता है।

मिहिर देसाई (2011) "***The Communal and Targeted Violence Bill***" में उनका कहना है कि साम्प्रदायिक एवं जातीय दंगे में संलिप्तता पर भारतीय दण्ड विधान प्रक्रिया में सजा की व्यवस्था की गई है। फिर भी वह सजा इस घटना को अभी तक नहीं रोक पाया है। अतः साम्प्रदायिक विवाद को रोकने के लिए अलग से कठोर दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है :–

इस अध्ययन के आधार पर साम्प्रदायिकता का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव का तथ्यपरक विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन पद्धति

यह शोध आलेख मुख्य रूप से वर्णन एवं विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक आलोचनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। वर्त्तमान अध्ययन साम्प्रदायिकता का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव के विविध पक्षों के अन्वेषण से संबंधित है अतः यह शोध आलेख मुख्य रूप से द्वैतियक स्रोत पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए मूल अध्ययन स्रोत पत्र–पत्रिकाओं एवं दस्तावेज तथा विभिन्न आचार्यों द्वारा सम्पादित पुस्तकों द्वारा लिया है।

भारत मे सांप्रदायिकता के कारण –

ऐतिहासिक कारण

इस्लाम धर्म बाहर से भारत मे आया। मुसलमानों ने यहाँ अपना शासन कायम किया। सत्ता और तलवार के जोर पर उन्होंने लोगो से जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरू की। इसी समय से मुसलमानों के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हुई। औरंगजेब तथा अन्य मुस्लिम शासको ने अनेक हिन्दुओं को जबर्दस्ती मुसलमान बनाया। इससे हिन्दुओं के मन मे मुसलमानों के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। बाद मे स्वतंत्रता आन्दोलन के समय मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों द्वारा की गई और उनकी मांग के आधार पर धार्मिक दृष्टि से पाकिस्तान के निर्माण की माँग अंग्रेजों ने मानकर देश का विभाजन किया, जो अनेक लोगो को पसंद नही आया। फिर विभाजन के समय दंगे, आगजनी और बलात्कार की घटनायें हुई और अनेक हिन्दू अपने ही देश मे शरणार्थी हो गये।

राजनीतिक दलो द्वारा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप मे प्रयोग करना

स्वतंत्रता के बाद वोट की राजनीति के कारण भी मुसलमान राष्ट्र की मुख्यः धारा मे सम्मिलित नही हो पाए। कुछ राजनीतिक दलो ने इन की राजनीति के कारण अपने आपको मुसलमानों का सबसे अधिक शुभेच्छु बताने की कोशिश की ताकि वह मुसलमानों के वोट प्राप्त कर सके। काफी समय तक इस वोट बैंक पर काँग्रेस का एकाधिकार रहा। इसके बाद जनता पार्टी और जनता दल ने कांग्रेस के इस एकाधिकार को तोड़ा। वर्तमान मे अपने आप को धर्म निरपेक्ष कहने वाले अनेक दल इस वोट बैंक को अपने अधिकार मे करने के लिए प्रयासरत है। वोटों की इस राजनीति ने मुसलमानों को राष्ट्रीय समरसता की धारा मे सम्मिलित नही होने दिया।

मुसलमानों का आर्थिक पिछड़ापन

अंग्रेजी शासन काल से ही यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा रहा। इस पिछड़ेपन के कारण इस वर्ग का आधुनिकीकरण नही हो पाया। परिणामतः नए विचारों की हवा इस समुदाय मे प्रविष्ट नही हो पाई और मुसलमानों के मुल्ला–मौलवियों ने इस वर्ग को राष्ट्रीय मुख्यधारा मे सम्मिलित नही होने दिया तथा फतवों की राजनीति जारी रही। राजनीतिक दलों से वोट के सौदे इनके द्वारा किए जाने लगे।

मनोवैज्ञानिक कारण

सत्य सनातन और इस्लाम के अनुयायियों मे परस्पर घृणा, विरोध, विद्वेष एवं पृथक्करण की भावनाये विकसित हो गई है। इन भावनाओं के विकसित होने का कारण प्राचीन काल से चली आ रही भ्रांतियाँ और पूर्वाग्रह है। जहाँ हिन्दू मुसलमानों की राष्ट्रीय वफादारी मे शंका व्यक्त करते है, वहीं कुछ मुसलमान भी अपनी करतूतों से इस शंका को समय समय पर पुष्ट करते रहते है।इससे परस्पर अविश्वास मे वृद्धि हुई है।

धार्मिक असहिष्णुता

विश्व के सभी धर्मों के मूल सिद्धांत लगभग एक जैसे ही है, परन्तु स्वयं के धर्म और धार्मिक सिद्धांतो को श्रेष्ठ समझना और अन्य धर्म और उसके सिद्धांतों को हेय समझने की प्रवृत्ति से धार्मिक असहिष्णुता मे वृद्धि हुई है। इस असहिष्णुता को धर्मगुरू, मोलवियों, पादरी आदि लोगों ने अपने अनुयायियों को धार्मिक कट्टरता की शिक्षा देकर प्रोत्साहित किया है। दूसरे धर्म के अनुयायियों को मारना और अपने धर्म का प्रचार करना वे पुण्य मानते है। इससे धार्मिक तनावों और संघर्षों मे वृद्धि हुई है।

सांस्कृतिक भिन्नता

सांप्रदायिकता की समस्या के लिए सांस्कृतिक भिन्नता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हिन्दू और मुसलमानों के रहन–सहन, खान–पान, रीति रिवाज, पहनावा, विचारधारा आदि मे बहुत अन्तर है। हिन्दू साकार ईश्वर मे विश्वास करते है और मूर्तिपूजक है, जबकि मुसलमान निराकार ईश्वर मे विश्वास करते है। हिन्दू एक विवाही है, जबकि मुस्लिम बहुल विवाही है। हिन्दूओं मे विवाह विच्छेद और विधवा पुनर्विवाह नही होते, जबकि मुस्लिमों मे तलाक और पुनर्विवाह होते है।

समाज विरोधी तत्वो के निहित स्वार्थ

असामाजिक तत्व लूटपाट और यौन व्यभिचार तथा बदला लेने के लिये तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करते है। ऐसे लोग विभिन्न धार्मिक अवसरों पर सांप्रदायिक विद्वेष फैलाते है। दशहरा, रामनवमी, मुहर्रम, ईद आदि अवसरों पर जुलूसो या समारोह मे पत्थर फेंककर या अन्य घटनाओं के द्वारा उपद्रव पैदा करते है। इस प्रकार के सांप्रदायिक संघर्षों मे वे अपनी पशु प्रवृत्ति की संतुष्टि आसानी से कर लेते है।

सरकार की तुष्टिकरण की नीति

स्वतंत्रता के बाद बनी सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के खातिर मुसलमानों के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाई। केन्द्र और प्रांतो मे बनने वाली अधिकांश सरकारों ने उसी नीति को अपनाया। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये नीतियां ऐसी सरकारों द्वारा अपनाई गई जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती थी। तुष्टिकरण के इन कदमों ने मुसलमानों मे पृथक्करण की भावना को बनाए रखने मे मदद की।

सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम

सांप्रदायिकता एक विश्वव्यापी समस्या है जिससे कमोवेश दुनिया के प्रायः सभी बहुल समाज जूझ रहे है। जो बहुधर्मी समाज अपने समुदायों के बीच सामंजस्य व सौहार्द्र कायम रखने मे सफल रहे है, वे भी ब्राह्म समाजों की धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद से अपनी आन्तरिक शांति को खतरा महसूस कर रहे हैं। अतीत मे धार्मिक कट्टरता एवं धर्म के प्रचार एवं प्रसार को लेकर विश्व मे अनेक लड़कियां लड़ी गई जो विज्ञान व टेक्नालॉजी के विकास के साथ विगत शताब्दियों मे कुछ थम गई थी, लेकिन अब ये पुनः उभर रही है जिससे भारत ही नही अपितु पूरे विश्व मे शांति व व्यवस्था कायम रखने मे कठिनाई महसूस की जा रही है। दरअसल सांप्रदायिकता एक प्रकार का जहर है जो सभी के विवेक पर पर्दा डाल देता है, उनकी सोच को समुदाय के हित तक सीमित कर देता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने समुदाय के हित साधन मे लग जाता है। इनता ही नही वह अन्य समुदाय या समुदायों के हित को क्षति पहुँचाने की भी कोशिश करता है। समुदायों के बीच द्वेष घृणा व संघर्ष से न केवल व्यक्तियों व समुदायों की प्रगति अवरूद्ध होती है अपितु पूरे समाज व देश की प्रगति भी ठप्प पड़ जाती है।

निष्कर्षः

भारत की जनता अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वह शराफत का मुखौटा लगाए इन स्वार्थी, कपटी एवं धूर्त लोगों की आसानी से पहचान कर उनका मुँहतोड़ जवाब दे सके। हमें स्वयं को इतना सुदृढ़ एवं विवेकशील बनाना होगा कि उक्ति–अनुचित, नैतिक–अनैतिक, तार्किक–अतार्किक आदि के बीच अन्तर की स्पष्ट पहचान की जा सके, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं मानवीयता की गरिमा बरकरार रहे। आज हम सबको स्वामी विवेकानन्द की कही बात को आचरण में लाने की आवश्यकता है– "हम भारतीय सभी धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते वरन् सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार भी करते। "वर्तमान समय में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ भारत के साथ–साथ विश्व स्तर पर भी देखी जा रही हैं। धर्म, राजनीति, क्षेत्रवाद, नस्लीयता या फिर किसी भी आधार पर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये जरूरी है कि हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें और अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी एवं सच्ची निष्ठा के साथ करें। यदि हम ऐसा करने में सफल हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर सद्भावना की स्थिति कायम होगी क्योकि सांप्रदायिकता का मुकाबला एकता एवं सद्भाव से ही किया जा सकता है। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये मजबूत कानून की आवश्यकता होती है।अतः सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 को मजबूती के साथ लागू करने की आवश्यकता है।

संदर्भ स्रोतः

1. Kumar, Dharmendra J. Indian Muslims: A Social Question, Third Concept, New Delhi 2010, 31-34.
2. Amritkar Prashant. Indian Secularism: Is it a way out to Communalism, The Indian Journal of Political Science U.S 2010;LXXI(3):232-234.
3. Bose S, Subhash Chandra. Secularism, Communalism and Human Rights, Third Concept, New Delhi 2011, 13.
4. Jose PI *et al*. The Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Preparation) Bill, A Note on Clarification, Indian Journal of Politics, New Delhi 2011;45(3-4):224-227.
5. Desai Mihir. The Communal and Targeted Violence Bill, Economic and Political Weekly, Mumbai 2011;XLVI(31):332-334.